

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 18/2023

प्रार्थी
सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

- जावेद शेख पुत्र सतार निवासी स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर।
मैसर्स:-सुफी किराना स्टोर स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर।
- संतोष देवी पत्नी शिवकरण
मैसर्स:- शिवा ट्रेडिंग कम्पनी जैतारण रोड, रामदेव मन्दिर के पास, मेडता सिटी, मेडता नागौर।
- खेताराम पुत्र मांगीलाल
मैसर्स:-जय अम्बे एण्ड कम्पनी प्लाट नम्बर 12, लक्ष्मी विहार, बासनी-प्रथम फेज, जोधपुर।
- रतनलाल पुत्र मांगीलाल
मैसर्स जय अम्बे एण्ड कम्पनी प्लाट नम्बर 12 लक्ष्मी विहार, बासनी-प्रथम फेज, जोधपुर।

आदेश

दिनांक :12.10.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-02-23 को मैसर्स सुफी किराना स्टोर स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (सुबाग एग्मार्क) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2135 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/163/एक्ट/2023/190 दिनांक 08.03.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (सुबाग एग्मार्क) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण जावेद शेख पुत्र सतार निवासी स्टेशन रोड कुचेरा जिला नागौर, संतोष देवी पत्नी शिवकरण, खेताराम पुत्र मांगीलाल तथा रतनलाल पुत्र मांगीलाल ने एफ.एस. एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-06-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दिनांक 12.10.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से घी का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, मैंने उक्त घी शिवा ट्रेडिंग कम्पनी जैतारण रोड, रामदेव मन्दिर के पास, मेडता सिटी, मेडता नागौर के यहां से खरीदा था। भविष्य में घी खरीदते व बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने सुफी किराना स्टोर स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर से घी का सैम्पल लिया था जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, उक्त घी मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था मैंने उक्त घी मैसर्स जय अम्बे एण्ड कम्पनी प्लाट नम्बर 12 लक्ष्मी विहार, बासनी-प्रथम फेज, जोधपुर के यहां से खरीदा था। भविष्य में घी खरीदते एवं बेचते समय ध्यान रखूगी। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने सुफी किराना स्टोर स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर से घी का सैम्पल लिया था जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त घी मेरी फर्म द्वारा ही शिवा ट्रेडिंग कम्पनी जैतारण रोड, रामदेव मन्दिर के पास, मेडता सिटी, मेडता नागौर को बेचा गया था। भविष्य में घी बेचते समय ध्यान में रखकर बेचेगें। अप्रार्थी संख्या 01 व 04 ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/163/एक्ट/2023/190 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (सुबाग एग्मार्क) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 जावेद शेख पुत्र सतार निवासी स्टेशन रोड कुचेरा, जिला नागौर, पर रुपये 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये, अप्रार्थी संख्या 02 संतोष देवी पत्नी शिवकरण पर रुपये 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये, अप्रार्थी संख्या 03 खेताराम पुत्र मांगीलाल तथा अप्रार्थी संख्या 04 रतनलाल पुत्र मांगीलाल पर संयुक्त रूप से रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये, कुल रुपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयवधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)